हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

14 मार्च, 2003

खण्ड-1, अंक-9

अधिकृत विवरण

विषय सूची

शुक्रवार, 14 मार्च, 2003

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(9) 1
सदस्यों का नाम लेना	(9) 15
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(9) 16
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(9) 21
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(9) 28
ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं	(9) 29
शोक प्रस्ताव	(9) 31
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(9) 31
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(9) 32

मूल्य : 30

समितियों की रिपोर्टस प्रस्तुत करना— (9) 32

सबोर्डिनेट लैजिसलेशन कमेटी की 33वीं रिपोर्ट (9) 32

गवर्नमैंट अश्योरैंसिज कमेटी की 33वीं रिपोर्ट (9) 32

वैल्फेयर आॅफ शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राईब्ज एंड बैकवर्ड क्लासिज कमेटी की 27वीं रिपोर्ट (9) 33

पब्लिक अकाउंटस कमेटी की 54वीं रिपोर्ट (9) 33

पब्लिक अंडरटेकिंगज कमेटी की 50वीं रिपोर्ट (9) 33

एस्टिमेटस कमेटी की 34वीं रिपोर्ट (9) 33

विधान कार्य— (9) 43

दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं0 2) बिल, 2003 (9) 34

HVS/LB/7

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 14 मार्च, 2003

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल-जवाब होंगे।

Declaration of Keorak as Sub-Tehsil

***1254.Shri Lila Ram :** Will the Minister for Revenue be pleased to State whether there is any proposal under consideration of the Government to declare Keorak as Sub-Tehsil in district Kaithal ?

नगर एवं ग्राम आयोजना मन्त्री (श्री धीर पाल सिंह) : जी, नहीं । ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री लीला राम : अध्यक्ष, महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि गांव क्योड़क, कैथल हल्के का ही नहीं बल्कि कैथल जिले का सबसे बड़ा गांव है और यहां की आबादी 25 हजार के करीब है। क्योड़क गांव से कैथल 11-12 कि०मी० की दूरी पर पड़ता है और क्योड़क के आस-पास 10-12 दूसरे बड़े गांव भी हैं, जिनकी आबादी 5 हजार से लेकर 8 हजार तक है। दौरा गांव की आबादी करीब 5 हजार, नौच गांव की आबादी करीब 7 या 8 हजार, जसवंती व बलतंती गांवों की आबादी करीब 3-3 हजार, बरोट गांव की करीब 6 हजार और थाना गांव की करीब 8 हजार आबादी है। ये सभी गांव क्योड़क के आस पास हैं और इनकी दूरी एक-एक, दो-दो कि०मी० की है। क्योड़क गांव इन सब गांवों के बीच में है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से यह भी कहना चाहूंगा कि कैथल में पुण्डरी हल्के के गांव ढांड की आबादी 5-6 हजार है और वहां पर सब तहसील बनी हुई है जो क्योड़क गांव से 20-25 कि०मी० की दूरी पर है और सीवण की आबादी भी क्योड़क से कम है, वहां भी सब तहसील बनी हुई है। आज के दिन हरियाणा सरकार, प्रदेश के लोग जो भी मांग करते हैं उसको पूरा करती है। मैं भी मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि क्योड़क के लोगों की परेशानी को देखते हुए वहां सब-तहसील बनाई जाये ?

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अभी सदन को आपके द्वारा अवगत करवाया कि इस बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है और न ही इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है।

Opening of Girls College in the State

***1264. Sh. Sher Singh :** Will the Minister of State for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the State Government to open new Degree College for Girls in each district in the State, if so, the details thereof ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौधरी बहादुर सिंह) : नहीं, श्रीमान् जी।

आई०जी० (रिटायर्ड) शेर सिंह : स्पीकर सर, जैसी की मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आज हरियाणा सरकार कटिबद्ध है women empowerment के लिए और लड़कियों की शिक्षा की तरफ भी विशेष ध्यान दे रहे हैं लेकिन मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि जींद जिले का जुलाना हल्का किसानों और गरीबों से जुड़ा हुआ हल्का है, वहां पर लड़कियों का कोई कालेज नहीं है। अमीर लोग तो अपनी लड़कियों को पढ़ने के लिए दूसरी जगह कालेजों में भेज देते हैं लेकिन गरीब और किसान अपनी लड़कियों को हायर शिक्षा के लिए दूसरी जगह नहीं भेज सकते । वहां 20-30 कि०मी० के एरिया में कोई भी सरकारी कालेज नहीं है। वहां पर यदि किसी किसान और गरीब की प्रतिभाशाली लड़की आगे पढ़ना चाहे तो वह कालेज न होने के कारण आगे शिक्षा नहीं ले सकती है। पिछले सैशन में मैंने वहां लड़कों के कालेज के बारे में प्रश्न किया था लेकिन उसके बारे में भी मना कर दिया गया था। यह जैन्डर क्वालिटी का सवाल है इसलिए मैं शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जुलाना में एक लड़कियों का कालेज खोल दिया जाये तो बहुत अच्छा होगा। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मेरा दूसरा सवाल यह है कि यदि जुलाना में कालेज खोलने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और उसमें समय लगेगा तो मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जुलाना से जींद और रोहतक के लिए स्पैशल महिलाओं के लिए कोई बस सरकार की तरफ से चलाई जाये ताकि जो लड़कियां वहां कालेज में पढ़ने के लिए जाती हैं, उन्हें आने जाने में किसी तरह की दिक्कत न हो।

चौधरी बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हरियाणा में हमारे लड़कियों के 48 कालेज चल रहे हैं इनमें से 8 कालेज सरकारी हैं और 40 कालेज नोन गवर्नमेंट हैं। जहां तक हर जिले में कालेज खोलने का सवाल है उस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहां पर 19 जिले हैं। इन 19 जिलों में से पंचकूला को छोड़ कर हर जिले में कालेज है। पंचकूला में सरकारी कालेज खोलने का प्रस्ताव मंजूर करवा लिया है और वहां भी जल्दी ही खोलने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जुलाना के बारे में मैं सदस्यों को बताना चाहूंगा कि जुलाना से जीन्द और महम 25-30 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं हैं। वहां पर महम में कालेज है, जीन्द में कालेज है, नरवाना में कालेज है और सफीदों में भी कालेज है। उस एरिया में जो 4 नोन गवर्नमेंट कालेज हैं, वे ये हैं :- सी०आर० किसान कालेज, जीन्द, हिन्दू कन्या महाविद्यालय जीन्द, एस०डी० कन्या महाविद्यालय, उचाना मण्डी, एस०डी० महाविद्यालय, उचाना मण्डी। इसलिए फिलहाल जुलाना में कोई कालेज खोलने की परपोजल नहीं है।

आई०जी० (रिटायर्ड) शेर सिंह : स्पीकर साहब, मेरा अनुरोध है कि मंत्री जी मेरे दूसरे सवाल का भी जवाब देने की कृपा करें कि यदि नये कालेज ये नहीं खोल पा रहे हैं तो जो जुलाना से थोड़े फासले पर कालेज चल रहे हैं उन से लेकर जुलाना तक लड़कियों के लिए स्पैशल बसें चलाये जाने पर विचार करेंगे क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है कि सरकार के पास बसों की कोई कमी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्त्वपूर्ण सवाल आदरणीय आई०जी०साहब ने किया है। अध्यक्ष महोदय, आज सारे हरियाणा में नजर डालें तो आज आम आदमी जो गांव में रहता है, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, उनकी बेटियों के लिए कालेज

में हायर एजूकेशन प्राप्त करना बहुत मुश्किल है इसके साथ-साथ जो एजूकेशन संस्था का डिस्टेंस है उसकी वजह से उनको 30-35-40 किलोमीटर आने-जाने में बहुत मुश्किल होती है। अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत बड़ा तथ्य है कि उनमें प्रतिभा भी है। गरीब घर में, आर्थिक रूप से कमजोर घर में इन्टैलीजैंट बच्चे पैदा होते हैं। केवल मात्र शिक्षा मंत्री का यह कह देना कि लड़कियों के कालेज केवल मात्र जिला लैवल पर या सब डिवीजन लैवल पर हैं, तो बात ठीक नहीं है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और इस बारे में कुछ निर्णय लेना चाहिए क्योंकि यह महिला सशक्तीकरण का वर्ष है। मेरा अनुरोध है कि कुछ कालेज बिल्कुल इन्टीरियर गांव में खोलने चाहिएं ताकि गांव की बेटियां, किसान की बेटियां, मजदूर की बेटियां व बैकवर्ड की बेटियां या जो छोटे आदमी हैं उनकी बेटियां भी कालेज में जाकर पढ़ सकें। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या शिक्षा मंत्री जी इस पर पुनर्विचार करेंगे।

चौधरी बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानित सदस्य को बताना चाहता हूं कि कालेज एक ऐसी जगह खुलता है जिसके लिए कम से कम 8 एकड़ जमीन चाहिए और उसकी बिल्डिंग के लिए 5 करोड़ रुपये चाहिए इसके अलावा जो रैकरिंग एक्सपेन्डीचर है वह 40 और 60 लाख रुपये के करीब होता है इसलिए गांव गांव में कालेज खोलने वाली बात है ही नहीं और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे कन्सीड्रेशन में है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमारे यहां पर कालेजों का 25-30 किलोमीटर फासला कोई ज्यादा नहीं है और इनमें आने जाने के लिए ट्रांस्पोर्टेशन का पूरा इन्तजाम है और लड़के और लड़कियों के लिए पास में भी कन्सैशन दिया हुआ है।

श्री भगवान सहाय रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि हथीन विधान सभा क्षेत्र शैक्षणिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है जिस कारण माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर लोगों की डिमाण्ड पर गर्ल्ज कालेज की घोषणा की है और कहा है कि आप जमीन उपलब्ध करा दो, भवन निर्माण करवा दो तो हम गर्ल्ज कालेज खोल देंगे । क्या इस तथ्य से अवगत होते हुए माननीय शिक्षा मंत्री बताएंगे कि जो हमारी मैचिंग ग्रांट लड़कियों की शिक्षा के लिए एक हिस्सा देने की है कि एक हिस्सा गांव वाले जमा करवायें और दो हिस्से गवर्नमैंट उसमें ऐड के रूप में देगी तो क्या इस बात को दृष्टिगत रखकर अगर हम जमीन,बिल्डिंग व अपने एक हिस्से का धन उपलब्ध करवा देंगे तो क्या हथीन विधान सभा क्षेत्र में कोई गर्ल्ज कालेज खोलने की इजाजत देंगे।

चौधरी बहादुर सिंह : स्पीकर साहब, अगर सी०एम० साहब ने अनाउंसमैंट की है व घोषणा की है तो इस पर जरूर विचार किया जायेगा और जैसे आप जमीन भी दे रहे हैं, बिल्डिंग भी दे रहे हैं और सी०एम० साहब ने अनाउंस कर दिया है तो हम इस कालेज को जरूर खोलने की कोशिश करेंगे।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, अभी शिक्षा मंत्री महोदय, ने फर्माया है कि जो सी०एम० साहब ने घोषणा की है तो उस पर जरूर विचार किया जायेगा । अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि यह कोई सी०एम० साहब की घोषणा का सवाल नहीं है। सवाल तो यह है कि वहां जहां पर कालेज नहीं है और वहां पर कोई प्राईवेट आर्गेनाईजेशन कालेज खोलना चाहती है तो क्या उसकी परमिशन सरकार देती है या सरकार ने इस पर भी बैन लगा रखा है।

चौधरी बहादुर सिंह : स्पीकर सर, आप जहां भी खोलना चाहते हैं उस बारे में प्रस्ताव भेजें उसको कन्सीडर कर लिया जायेगा और वह ठीक होगा तो उस पर जरूर विचार किया जायेगा।

श्री भागी राम : स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अगर किसी गांव के लोग या शहर के लोग कालेज के लिए कोई बिल्डिंग बनाकर दें तो क्या उसको टेक ओवर करेंगे।

चौधरी बहादुर सिंह : स्पीकर सर, यह कोई सवाल नहीं बनता । टेकओवर का सवाल तो तब आयेगा जब कोई परपोजल आयेगी कि ये कहां पर खोलना चाहते हैं। उसकी कोई वायबिलिटी बनेगी या नहीं, दूसरे यह भी देखा जाता है कि वहां पर जो दूसरे कालेज हैं वे वहां से कितनी दूर हैं। मैं यह पहले बता देना चाहता हूं कि सी०एम० साहब की घोषणा वहां होती है जहां जरूरी होती है यह नहीं है कि वैसे ही घोषणा कर दी जाती है। ये सारी चीजें देखी जाती हैं कि आया वह बैकवर्ड एरिया है, आसपास के एरिया में कोई कालेज है या नहीं । इन सारी चीजों को देख कर ही ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार किया जाता है यदि ऐसी कोई परपोजल आती है तो जरूर कंसीडर करेंगे।

श्रीमती अनिता यादव : अध्यक्ष महोदय, अभी शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लैवल पर जो कालेजिज हैं वहां पर ट्रांस्पोर्ट का बहुत अच्छा साधन है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि गांव बिरोड़ में गांव वालों ने कालेज खोलने के लिए जगह भी दे रखी है, कमरे भी तैयार कर रखे हैं और नार्म्ज भी कम्पलीट कर रखे हैं और उसके बावजूद हरियाणा सरकार उस कन्या महाविद्यालय को नहीं बना रही तो उसके बारे में सरकार क्या सोच रही है। दूसरा मैं यह भी पूछना चाहती हूं कि खानपुर खुर्द में 10+2 का स्कूल भी सारे नॉर्म्ज पूरा करता है। मैं जानना चाहती हूं कि सरकार उसको भी कब तक खोल देगी ?

चौधरी बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहता हूं कि यह स्कूल का सवाल नहीं है, बल्कि कॉलेज के बारे में सवाल है। स्कूल के बारे में पूछना है तो अलग से सवाल करके पूछ सकती हैं । जहां तक वहां पर कॉलेज का मामला है, उस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि वहां पर डी०ए०वी० कॉलेज आराम से चल रहा है। (विघ्न) यह कॉलेज का सवाल चल रहा है, स्कूल का नहीं।

श्री बलवन्त सिंह मायना : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं शिक्षा मन्त्री और माननीय मुख्य मन्त्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि अपनी सरकार आने के बाद इसराना में कॉलेज मन्जूर हुआ था। इसी प्रकार से बादली में और सांपला के अन्दर लड़कियों का कॉलेज है। पिछले 6-7 महीने से सांपला में प्रिंसीपल की पोस्ट खाली पड़ी है मैं माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या प्रिंसिपल को एप्वायंट करके वहां पर शीघ्र भिजवाने की कृपा करेंगे ?

चौधरी बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि प्रिंसीपल की पोस्टस के बारे में एडवरटाईज कर रखा है। उनकी सिलैक्शन होने के बाद सांपला में सबसे पहले प्रिंसिपल लगा दिया जाएगा।

राव दान सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इनके नार्म्ज के अनुसार अगर कोई कॉलेज बनवाया है तो उसके लिए आठ एकड़ जमीन और पांच

करोड़ रुपए होने चाहिए या बिल्डिंग बनवाकर दे दें, तब यह सरकार महिलाओं की शिक्षा के लिए कंसीडर करेगी। तो हमारे कनीना कस्बे में बिल्डिंग बनी हुई है और वहां पर 8 ज़मीन की वजाए 10 एकड़ जमीन है। हम पिछले दो सालों से सरकार की एन०ओ०सी० के लिए मोहताज हैं। क्या मंत्री जी एन०ओ०सी० देने के बारे में गौर फर्माएंगें ?

चौधरी बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि महेन्द्रगढ़ जिले में सबसे ज्यादा गवर्नमैंट कालेजिज हैं। वहां पर हरियाणा के दूसरे जिलों से ज्यादा आठ गवर्नमैंट कालेजिज हैं। रिवाड़ी जिला इनके साथ ही लगता है वहां पर 3 गवर्नमैंट और 6 प्राईवेट कालेजिज हैं। इसलिए इन्होंने एन०ओ०सी० की जो बात की है उसकी कोई जस्टीफिकेशन नहीं बनती है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ये यह बताएं कि रिवाड़ी में 3 गवर्नमैंट कालेजिज कहां पर हैं।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब आप बैठ जाएं। (विघ्न)

श्री सूरज मल : अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि मुरथल गांव के अन्दर सी०एम० साहब ने गर्ल्ज कालेज की घोषणा की थी। जो नाम्र्ज शिक्षा मंत्री जी ने बताएं हैं, उसके हिसाब से वहां पर 8 एकड़ भूमि और बिल्डिंग भी तैयार है। सारे काम रेड्डी हैं। वहां पर गांव के लोगों ने चन्दा भी इक्ट्ठा कर रखा है। गांव वाले तमाम पैसे लगाने के लिए तैयार हैं, वे गवर्नमैंट से कोई पैसा नहीं मांगते हैं। क्या गवर्नमैंट वहां पर गर्ल्ज कालेज बनवाने के बारे में विचार करेगी ?

चौधरी बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिस दिन इनकी तरफ से यह परपोजल बनकर आ जाएगी और सी०एम० साहब ने वहां पर अनाउंसमैंट भी की हुई है, ये जमीन भी दे रहे हैं और बिल्डिंग भी बनाकर दे रहे हैं, उस पर जरूर विचार किया जाएगा।

चौधरी नफे सिंह राठी : अध्यक्ष महोदय, 25 जनवरी को "सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम के तहत बहादुरगढ़ में जो कालेज चल रहा है वहां पर महिलाओं के लिए अलग विंग बनाने की घोषणा की थी। यह विंग सरकार की तरफ से इस साल बनाया जाएगा या अगले साल बनेगा। इसके साथ ही बहादुरगढ़ में एम०ए० की क्लासिज लगती थी लेकिन वे बंद कर दी गई हैं। वहां पर एकोमोडेशन है, शिक्षक भी हैं तो क्या वहां पर एम०ए० की क्लासिज दोबारा से शुरू की जाएंगी।

चौधरी बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक एम०ए० की क्लासिज की जरूरत वाली बात सम्मानित साथी ने कही है तो इनका इस बारे में प्रस्ताव आएगा तो इस बारे में विचार कर लिया जाएगा। जहां तक इन्होंने लड़कियों के अलग विंग वाली बात कही है तो वह अगले साल बनाया जाएगा।

श्री कपूर चन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रिक कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद में कोई भी कन्या महाविद्यालय नहीं है। शाहबाद में 10+2 स्कूल है, वहां पर जगह भी है, बिल्डिंग भी है, तो क्या वहां पर कोई कन्या महाविद्यालय बनाने का विचार करेंगे। इसके साथ ही पिछले महीने में जितने स्कूल्ज अपग्रेड करके प्राईमरी से मिडिल किए थे आज तक वहां पर टीचर्ज नहीं आए हैं। इसकी वजह से बच्चे वहां से छोड़ छोड़ कर दूसरी जगह जा रहे हैं। क्या शिक्षा मंत्री जी वहां पर टीचर्ज की व्यवस्था करेंगे ताकि बच्चे दूसरी जगहों पर न जाएं।

चौधरी बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, कुरूक्षेत्र जिले में आलरेडी आठ प्राईवेट कालेजिज़ हैं और एक यूनिवर्सिटी है इसलिए वहां पर कोई नया कालेज खोलने का कोई विचार नहीं है। (विघ्न) गवर्नमैंट कालेज की कोई जरूरत नहीं है। जहां पर शिक्षा की जरूरत है वहां पर शिक्षा मिल रही है। चाहे वहां पर गवर्नमैंट कालेज खुले या न खुलें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि रिवाड़ी जो प्रोपर डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर है वहां पर कोई भी गवर्नमैंट कालेज नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जिले के बारे में था तो जो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर प्रोपर रिवाड़ी में गवर्नमैंट कालेज खोलने का प्रस्ताव आपके पास है। अगर हम जमीन भी आपको उपलब्ध करवा दें या वहां पर जो ओल्ड कोर्ट है वह खाली पड़ा हुआ है, वहां पर बिल्डिंग अवेलेबल है। क्या वहां पर कालेज बनाने के बारे में सरकार का कोई प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, आप इक्ट्ठा ही जवाब दे देना ।

श्री धर्मबीर सिंह : स्पीकर साहब, शायद हरियाणा प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश है जहां पर लड़कियों की शिक्षा मुफ्त है।

श्री अध्यक्ष : धर्मबीर जी, शायद नहीं कहो, बल्कि कहो कि मुफ्त है।

श्री धर्मबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में क्षेत्रफल के हिसाब से अगर कोई जिला सबसे बड़ा है तो वह भिवानी जिला है। भिवानी जिले में हम आपसे कोई नया कालेज नहीं मांग रहे हैं। बल्कि वहां पर जो बना बनाया महिला आदर्श कालेज है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा। आज समाज ऐसा नहीं रहा है, इसकी कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। इसी कारण पेरैन्टस अपनी लड़कियों को सरकारी कालेज में पढ़ाना नहीं चाहते।

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, आप अपनी सप्लीमैंट्री पूछें।

श्री धर्मबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, वहां के आदर्श महिला कालेज में संख्या ज्यादा होने के बावजूद जो पहले सीट्स थीं, पोस्ट्स थी वह अबोलिश कर दी गयीं तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या उस कालेज में पोस्ट्स क्रिएट करेंगे ?

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, आप सबके प्रश्न नोट कर ले सभी का इक्ट्ठी ही जवाब दे देना। अब रामबीर जी सप्लीमैंट्री पूछेंगे।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, पहले मंत्री जी सप्लीमैंट्री का जवाब तो दें।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी दो चार सप्लीमैंट्रीज का इकट्ठा ही जवाब दे देंगे। वे बड़े काबिल मंत्री हैं जवाब दे देंगे।

श्री रामबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक डेढ साल पहले कालेजों में से प्लस वन और प्लस टू की क्लासिज को सीनियर सैकेंडरी स्कूलों में शिफ्ट किया गया था। हमारे विधान सभा क्षेत्र का सिंधरावली एक ऐसा गांव है जहां लड़कियों को पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता है वहां के कुछ कालेजों में भी सरकार ने ऐसी ही छूट दी हैं इसलिए उनमें प्लस वन और प्लस टू की क्लासिज

जारी रखी गयी हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सिंघरावली गांव में आसपास की छात्राओं की संख्या को देखते हुए क्या वहां के उस कालेज में भी प्लस वन और प्लस टू की छात्राओं को पढ़ने की इजाजत देंगे ?

चौधरी बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पहले मैं कैप्टन अजय सिंह जी को बताना चाहूंगा कि रिवाड़ी जिले के अंदर गवर्नमैंट कालेज, बावल, गवर्नमैंट कालेज,कवाली, गवर्नमैंट कालेज, नाहाड़ यानी तीन गवर्नमैंट कालेज चल रहे हैं और 6 वहां पर प्राईवेट कालेज हैं जिनमें लड़कियों के कालेज भी हैं। इसी तरह से अब मैं धर्मबीर जी को बताना चाहूंगा कि भिवानी जिले में पांच गवर्नमैंट कालेज और सात प्राईवेट कालेज चल रहे हैं। जहां तक इन्होंने आदर्श महिला कालेज में सीट्स बढ़ाने की बात कही है तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि अगर हम ठीक समझेंगे कि वहां पर और सीट्स बनती हैं, जरूरत है तो उसका यह प्रस्ताव भिजवाएं, उसको कंसीडर कर लिया जाएगा। इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, रामबीर सिंह जी ने सिंघरावली के बारे में जो कहा है मैं उनको बताना चाहूंगा कि अगर वहां पर 10+2 क्लास की जरूरत है और अगर वहां के कालेज में लड़कियों की संख्या ज्यादा है तो 10+2 की क्लास भी हम इनको वहां पर जरूर देने की कोशिश करेंगे।

श्री नफे सिंह जुंडला : अध्यक्ष महोदय, जुंडला विधान सभा क्षेत्र में निसिंग कस्बा पड़ता है। निसिंग कस्बा कैथल और करनाल से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहां पर विशेष तौर पर लड़कियों को पढ़ने के लिए या तो कैथल जाना पड़ता है या करनाल जाना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि निसिंग में ही कोई को-ऐजुकेशन का या लड़कियों का कालेज खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है या नहीं ?

चौधरी बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानित साथी को बताना चाहूंगा कि करनाल में तीन गवर्नमैंट कालेज और 6 प्राईवेट कालेज हैं इसलिए निसिंग के अंदर गवर्नमैंट कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री रमेश कुमार खटक : अध्यक्ष महोदय, गोहाना में कुछ महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या महाविद्यालय की आधारशिला रखकर आये थे। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि वह कालेज कब तक बनकर तैयार हो जाएगा ?

चौधरी बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, उस कालेज की बिल्डिंग का काम चल रहा है। वहां लड़कियों का विंग चालू हो चुका है। कालेज की बिल्डिंग भी मेरे ख्याल में जल्दी ही बन जाएगी।

श्री लीला राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जैसे उन्होंने सम्मानित सदन में कहा कि महेन्द्रगढ़ के अंदर 8 गवर्नमैंट कालेज हैं और रिवाड़ी के अंदर तीन गवर्नमैंट कालेज और 6 प्राईवेट कालेज हैं मैं कहना चाहता हूं कि केवल कैथल जिला ही ऐसा है जहां कोई गवर्नमैंट कालेज नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कैथल में भी कोई शिक्षा के क्षेत्र में समानता का फार्मूला बरता जाएगा ?

चौधरी बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि अकेला कैथल नहीं है जहां गवर्नमैंट कालेज नहीं है। कुरूक्षेत्र में भी गवर्नमैंट कालेज नहीं है। कैथल में 9 प्राईवेट कालेज हैं मेरे ख्याल में वहां गवर्नमैंट कालेज खोलने की आवश्यकता नहीं है।

Use of Tangri/Markanda Water

***1340. Shri Jasbir Mallaur :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to use the water of Tangri and Markanda rivers for irrigation purpose; if so,the details thereof ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : हां, श्रीमान जी यह प्रस्तावित किया गया है कि टांगरी व मारकण्डा नदियों से सतलुज यमुना सम्पर्क नहर में प्रवेश द्वार दिये जाएं ताकि वर्षा का फालतू पानी सिंचाई के लिए उपयोग किया जाए व कैथल, फतेहाबाद व सिरसा जिलों के क्षेत्र को बाढ़ से भी राहत मिले।

श्री जसबीर मल्लौर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सी०पी०एस० महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने इस तरह की परियोजनाएं दी हैं मारकंडा और टांगरी नदी में बाढ़ आने के कारण कृषि क्षेत्र में नुकसान होता है। मेरा हल्का नग्गल, मारकंडा और टांगरी नदी की वजह से बाढ़ से बहुत प्रभावित होता है उसके लिए एक करोड़ रुपये की लागत से एक बहुत अच्छी परियोजना एस०वाई०एल० के प्रवेश द्वार दिये जाने की है जिससे वर्षा का फालतू पानी सिंचाई के लिए उपयोग किया जा सकेगा। इसके लिए मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मेरा हल्का पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर पड़ता है और पंजाब और चण्डीगढ़ तक का पानी मेरे हल्के में आता है मेरे हल्के में एस०वाई०एल० जीरो प्वॉइंट पर है और यह हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर पड़ता है और पंजाब की घग्घर और टांगरी नदी का पानी मेरे हल्के को डुबोने का काम करती है और एस०वाई०एल० न बनने का सबसे ज्यादा नुकसान मेरे हल्के को हो रहा है। इस बारे में कृषि मंत्री जी दौरा करके गए थे संयोग से ई०आई०सी०साहब काफी समय तक अम्बाला रेंज के कमिश्नर रह कर आए हैं इसलिए उनको मेरे हल्के की बाढ़ की स्थिति के बारे में अच्छी तरह से पता है तीन ड्रेन सुलर, अमीपुर ड्रेन और बढ़ौली ड्रेन यदि बन जाती हैं तो पंजाब से जो पानी मेरे हल्के में आता है और तबाही मचाता है उसके लिए ये ड्रेन्ज बंध का काम करेंगी इसलिए मेरा अनुरोध है कि इन ड्रेनों को जो टॉप प्रायोरिटी पर रखी गई हैं इनको जल्दी से जल्दी बनवाने की व्यवस्था सरकार करे ताकि आने वाले दिनों में मेरे हल्के के लोगों को बाढ़ से नुकसान न हो।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी श्री जसबीर मलौर ने जो चिंता जाहिर की है कि मारकंडा नदी के पानी को किस तरह से प्रयोग किया जाए। कल मैंने यमुना और घग्गर इन दोनों नदियों में बरसात के दिनों में जो पानी आता है, उफान आता है और चला जाता है उस पानी के प्रयोग के लिए जितनी स्कीमें सरकार द्वारा बनाई गई थी उनके बारे में मैंने कल बताई थीं। आज मैं मेरे साथी को यह बताना चाहता हूं कि हमारी गवर्नमैंट कितनी कंसर्न है। फ्लड कंट्रोल बोर्ड की 34वीं मीटिंग 12-2-03 को हुई और उसमें 80 लाख 75 हजार रुपये खर्च करने की योजना बनाई गई ताकि इन दोनों नदियों का पानी एस०वाई०एल० बनाकर ठीक ढंग से सिंचाई में प्रयोग किया जा सके । जहां तक मेरे साथी ने तीन ड्रेनों का जिक्र किया सुलर ड्रेन, अमीपुर ड्रेन और बढ़ौली ड्रेन यह जो तबाही मचाती हैं; उनको फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग में फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा है उन्हें इस समय पर बनाएंगे, मेरे साथी को निश्चित हो जाना चाहिए। हरियाणा प्रदेश में ड्रेनेज और नहरों का नैटवर्क बहुत अच्छे ढंग से तैयार किया गया है ड्रेनेज की पूरी व्यवस्था इस प्रकार की होगी कि नग्गल को ही नहीं पूरे हरियाणा प्रदेश को बाढ़ रहित किया जाएगा। (विघ्न)

हुड्डा साहब, आप बीच में न टोकें नहीं तो मैं फिर लंबा रिप्लाई देने लग जाऊंगा। मेरे साथी का मारकंडा और टांगरी नदी के बारे में प्रश्न है और मैं उन्हें सैटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी मैं रिप्लाई देने के लिए खड़ा होता हूं तो आपको यह चिंता हो जाती है कि रिप्लाई लंबा आएगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : इसके लिए आपका नाम गिनीज बुक में रिकार्ड करने के लिए भेजेंगे।

श्री राम पाल माजरा : गिनीज बुक में हमारा नाम विकास के लिए आएगा और आप लोगों का नाम इस हरियाणा प्रदेश के सर्वनाश के लिए। हमारा तो गिनीज बुक में नाम आएगा और इस बात के लिए आएगा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने हिंदुस्तान के नक्शे पर विकास की दृष्टि 10.00 बजे से एक नंबर का प्रदेश हरियाणा को बनाया है। इस सरकार ने हरियाणा को खूब चमकाया है और तुम्हारी सरकार ने इसको खूब लुटाया है।

श्री जसबीर मल्लौर : अध्यक्ष महोदय, जहां तक सुलर ड्रेन की बात है इससे बनने से हरियाणा और पंजाब के बोर्डर पर झील बनेगी इसलिए यह ड्रेन बांध का काम भी करेगी और पंजाब का पानी हरियाणा में कम आयेगा । इस पर काम पिछले दिनों शुरू हुआ है लेकिन ऐसी शंका है कि कहीं लैंड मीयरिंग चेंज न हो जाये क्योंकि अगर वह चेंज की गई है तो काफी समय ऐसे ही निकल जायेगा और मेरे हल्के के लोगों को फ्लड से निजात नहीं मिलेगी । इसलिए जैसा कि मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इसको समय रहते बनाया जायेगा चाहे उसके लिए सैक्शन 4 और 6 के नोटिस करके दें बाकी सारे काम पूरे हो चुके हैं पैसा भी सरकार ने फर्स्ट प्रियोरिटी पर दे दिया है। इसलिए इसको जल्द पूरा किया जाये।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, मेरे माननीय साथी ने शंका जाहिर की है कि कहीं उस ड्रेन की लैंड मीयरिंग चेंज न हो जाये और फ्लड से पहले पूरी नहीं हो पाये। स्पीकर सर, कोई भी नहर या ड्रेन बनाई जाती है तो पहले उस जगह का सर्वे कराया जाता है उसके बाद टैक्नीकल एडवाईजरी कमेटी के सामने रखा जाता है उसमें उसको टैक्नीकली एग्जामिन किया जाता है जहां पर वायबल हो वहीं पर बनाई जाती है। जैसा कि माननीय साथी ने शंका जताई है उनसे इस बारे में फिर से पूछ लेंगे अगर कहीं कुछ चेंज होगी तो उनसे सलाह मश्विरा कर लेंगे और उसके बाद तय कर लेंगे उसके बाद बना लेंगे। टैक्नीकल एडवाईजरी कमेटी की रिपोर्ट फाईनल होती है,क्योंकि आज अगर कोई दबाव डालकर बनवा लेता है तो कल कौन जिम्मेवार होगा। उसके मुताबिक ही बनाई जाती है। टैक्नीकल एडवाईजरी कमेटी इसलिए ही गठित की जाती है कि उसको टैक्नीकली एग्जामिन करे।

प्रो० राम भगत : स्पीकर सर, 1995 की बड़ी खतरनाक बाढ़ में मेरे हल्के के काफी गांव बर्बाद हो गये थे और मैं हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा और उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने तीन करोड़ रुपये की बास ड्रेनेज कम्पलैक्स स्कीम तैयार करवाई है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, उसके बाद भी मेरे हल्के में एक पुटी गांव में थोड़ी सी बरसात होते ही लगभग 600-700 एकड़ जमीन में पानी हर साल खड़ा हो जाता है और वहां के किसान अपनी फसल को बचाने से रह जाते हैं। मैंने इस बारे में स्थानीय प्रशासन से कई बार निवेदन किया है।

श्री अध्यक्ष : रामभगत जी आप इस बारे में मंत्री जी को लिखकर भेज देना यह प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री धर्मबीर सिंह : स्पीकर सर, हरियाणा प्रदेश में जितनी भी मेन कैनाल हैं उनके साथ हर जगह सेम आ रही है क्या सरकार का सेम के पानी को निकालने बारे कोई प्रोपोजल है ?

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो ड्रेनों के साथ रेली की वजह से साईड की मिट्टी गिर जाती है उसको पक्की ईंटों से पक्का करने का प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, मेरे साथी ने बजट पर बोलते हुऐ भी यह सुझाव रखा था कि नहरों और ड्रेनों के साथ पानी लगने से जो पोली मिट्टी होती है वह गिर जाती है। जहां पर आबादी होगी उसको एग्जामिन करा लेंगे मैं माननीय साथी को कहता हूं कि वे इस बारे में लिखकर दे दें हम विचार कर लेंगे। दूसरा जो माननीय साथी धर्मबीर सिंह जी ने कहा, मैंने कल अपने रिप्लाई में डिच ड्रेन का भी, पैरलैल ड्रेन का भी और दूसरी ड्रेनों के बारे में डिटेल्ड रिप्लाई दिया था उस समय तो ये माननीय साथी पता नहीं कहां थे। इस बारे में मैंने कल बता दिया था । उस समय तो यह हो रहा था कि विरोधी पक्ष में बैठे हैं इसलिए विरोध ही करना है।

Allotment of site for Petrol Pumps

***1269. Sh. Anil Vij :** Will the Minister of State for Urban Development be pleased to state —

(a) whether any land site has been allotted for setting up of Petrol Pumps/Gas Agencies by the Urban Development Department in the State since its inception; and

(b) if so, the name of allottees date of allotment, area of the land location and the rate at which it was allotted ?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाष गोयल) : हां श्रीमान् जी, नगर निगम फरीदाबाद, नगरपरिषद् अम्बाला सदर, रोहतक, नारनौल, हांसी तथा नगरपालिका गोहाना, नरवाना, महम व बेरी ने नगरपालिका भूमि विभिन्न व्यक्तियों/फर्मों को पैट्रोल पम्प लगाने हेतू आवंटित की गई है। किसी भी पालिका द्वारा गैस एजेंसी हेतू किसी भी व्यक्ति को भूमि नहीं दी गई है। पैट्रोल पम्प हेतू आवंटित की गई भूमि का पालिकावार विवरण अनुलग्नक 'क' पर है।

अनुबन्ध-क

विवरण

क्र० सं०	नगरनिगम/परिषद/ पालिका का नाम	अलाटी का नाम	आबंटन की तिथि	भूमि का क्षेत्रफल	स्थिति	दर	लीज की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	फरीदाबाद	1. हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन	3-2-2003	1100 वर्ग मी०	डी०एम० रोड सं०-11 फरीदाबाद	दो फिलिंग प्वाईट्स के लिये रु० 21000 प्रतिमाह	30 वर्षों के लिये
		2. श्री पंकज सोम चतुर्वेदी	6-7-93	1466.66 वर्ग गज	पाली स्टोन क्रेसर जोन	प्रत्येक दो वर्ष की अवधि के बाद 10% वृद्धि के प्रावधान के साथ दो फिलिंग प्वाईट्स के लिये 5000 रु० प्रति माह	15 वर्षों के लिये
		3. वृद्धि के लिये अतिरिक्त भूमि	18-4-95	1466.66 वर्ग गज	-सम-	-सम-	-सम-
		4. मै० ताराचंद सलूजा एंड सन्स	3-5-94	1244.3 वर्ग गज	नीलम-बी० के हस्पताल रोड एन०आई०टी०	भूमि की पगड़ी 10 लाख रु० और पहले 33 वर्ष के लिये किराया 20000 रु०	99 वर्षों के लिये

1	2	3	4	5	6	7	8
						प्रति वर्ष, अगले 33 वर्ष के लिये 4000 रु० और अंतिम 33 वर्ष के लिये 6000 रु०	
2.	अम्बाला सदर	श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री सीता राम	31-8-95	718 वर्गगज	जगाधरी रोड अम्बाला सदर	39490 रु० प्रति वर्ष	99 वर्ष के लिये
3.	रोहतक	1. नन्दा एसोसियेटस	1-1-1948	541.5 वर्गगज	बाहरी किला रोड	25875 रु० प्रति वर्ष	पट्टे का नवीकरण प्रत्येक पांच वर्ष बाद किया जा रहा है।
		2. हिन्दुस्तान पैट्रोलियम क० मै० कपूर चन्द फतेहचन्द	19-1-1943	312.6 वर्गगज	-सम-	7583 रु० प्रति वर्ष	-सम-
		3. भारत पैट्रोलियम लि० मार्फत चौधरी बर्दस	26-10-1966	400.5 वर्गगज	-सम-	13163 रु० प्रति वर्ष	-सम-
		4. भारत रिफाईनरी लि० मै० शादीराम उधमीराम	31-3-1955	280.5 वर्गगज	-सम-	20555 रु० प्रति वर्ष	-सम-
4.	नारनौल	श्री राम कुमार पुत्र शिव नारायण	1955	350 वर्गगज	मुख्य डाकघर के सामने	1113.25 रु० प्रति वर्ष	10-4-2003 तक
5.	हांसी	मै० कैलाश चन्द्र राजकुमार	1963	1685 वर्गगज	नजदीक बसस्टैंड हांसी	3744 रु० प्रति वर्ष	लीज समाप्त। पट्टा नवीकरण बारे प्रस्ताव प्राप्त हुआ है लीज दर सरकार के विचाराधीन है।

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	गोहाना	भारत पैट्रोलियम	1952	266.7 वर्गगज	पालिका कार्यालय के सामने	6005 रु० प्रति वर्ष	8-7-2004
7.	नरवाना	1. श्री विजय कुमार पुत्र गिरीश पाल	1-8-1964	1111 वर्गगज	-सम-	3886 रु० प्रति वर्ष	31-3-2003
		2. चिरंजी लाल पुत्र श्रद्धाराम	26-9-1964	1388.8 वर्गगज	-सम-	3888 रु० प्रति वर्ष	31-3-2003
8.	महम	मै० आर०के० जैन एंड संस	1-8-1951 से जून, 1976 2-7-1976 से जून 1984 3-7-1984 से जून, 1989	441 वर्गगज	पुराना बस स्टैंड	250 रु० प्रति वर्ष 500 रु० प्रति वर्ष 625 रु० प्रति वर्ष	भूमि कम्पनी को 352800 रु० में 800 रु० प्रति वर्गगज की दर से उपायुक्त की स्वीकृति उपरांत बेची गई है।
9.	बेरी	मै० कैलाश आयल कं०	1967	3466 वर्गगज	नजदीक गवर्नमैंट स्कूल जहाजगढ़ रोड	वर्तमान लीज दर 12000 रु० प्रति वर्ष है	31-3-03 तक। नगरपालिका भूमि पट्टेदार को बेचने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में समय समय पर भिन्न-भिन्न सरकारों ने जो पैट्रोल पम्पों की भूमि आबंटित की उनकी सूची मंत्री जी ने प्रस्तुत की। पैट्रोल पम्प बहुत ही पहुंच वाले लोगों को अलॉट होते हैं, अक्सर इनके भूमि आबंटन में बहुत बड़ी धांधली होती है। अध्यक्ष महोदय, मैंने बाकी केसिज का तो अवलोकन नहीं किया लेकिन अम्बाला कैंट में 1955 में जो यह दर्शाया गया है कि पैट्रोल पम्प के लिए भूमि आबंटित की गई यह ठीक उत्तर नहीं दिया गया क्योंकि इस केस का मैंने पूरी तरह से अवलोकन किया है, यह भूमि किसी भी स्तर पर अलॉट नहीं की गई थी। पुष्पा देवी, पूर्व शिक्षा मंत्री फूल चंद मुलाना की धर्म पत्नी है, इन्होंने भजन लाल जी के राज में धक्के से वहां जमीन पर कब्जा करके पैट्रोल पम्प लगवा दिया । आज की तारीख तक उस भूमि का कोई नया पैसा भी सरकार के खजाने में जमा नहीं कराया गया । मैंने कहा कि यह धक्के से लगा दिया गया। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जहां पर यह पैट्रोल पम्प लगाया गया वहां पर अम्बाला छावनी में सरकारी जमीन इतनी खाली पड़ी है जितनी हरियाणा में कहीं भी नहीं पड़ी होगी, लोगों की अक्सर उस पर निगाह रहती है कि उसको हड़पा जाए। जब भी मौका आता है लोगों द्वारा उसको हड़पा जाता है। अभी सरकार ने एक विजिलैंस की जांच कराई , करोड़ों रुपये की भूमि का घोटाला सामने आया जिसमें बड़े बड़े दिग्गज शामिल हैं। पंजाब के कैप्टन अमरेन्द्र सिंह लिब्रान कमीशन आयोग के अध्यक्ष **** ने लीज की जमीन 2 करोड़ में बेच दी । (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : *********

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप बैठें, इन्होंने नाम नहीं लिया बल्कि रिकार्ड के साथ अपनी बात कही है। कैप्टन साहब जो कुछ कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। हुड्डा साहब, आप इनको समझाएं। यह प्रश्न काल है, इनको क्या तकलीफ है, इनको बैठाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने व्यवस्था का प्रश्न दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बात सही है तो नाम लेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, केस हाई कोर्ट में चला गया है।

श्री अनिल विज़ : अध्यक्ष महोदय, मैं इस केस के फैक्टस बता रहा हूं इनको क्यों दिक्कत हो रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगजीत सिंह सांगवान : अध्यक्ष महोदय ----------

श्री अध्यक्ष : जगजीत सिंह जी, आप बैठे। मंत्री जी जवाब देंगे, जवाब देना आपका काम नहीं है। आप जवाब सुनिए और बैठें। (शोर एवं व्यवधान) यह प्रश्न काल है। आप सवाल देते नहीं है और कोई सवाल देता है तो आप उसका जवाब सुनते नहीं है।

श्री अनिल विज़ : अध्यक्ष महोदय, आप इनके खिलाफ कार्यवाही करें, ये मुझे अपनी बात पूरी नहीं करने दे रहे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब और जगजीत सिंह जी, प्लीज आप बैठिये। (शोर एवं व्यवधान) आपने यदि सदन से बाहर जाना है तो आप जाएं और अखबारों में सुर्खियां बनायें। (शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, जो आदमी अपने को यहां डिफैंड नहीं कर सकता उसका यहां नाम क्यों लिया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज़ : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ---- (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगजीत सिंह सांगवान : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने हाई कोर्ट के जज का नाम कैसे ले दिया, जो इस सदन के सदस्य ही नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज़ : स्पीकर सर, मैंने हाई कोर्ट के जज का नाम नहीं लिया ।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ———— (शोर एवं व्यवधान)

सदस्यों का नाम लेना

श्री कर्ण सिंह दलाल : ****

श्री जगजीत सिंह सांगवान : *****

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह दलाल और जगजीत सिंह सांगवान चेयर की इजाजत के बगैर बोल रहे हैं इसलिए इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये । दलाल जी और सांगवान जी प्लीज आप बैठिये। (शोर एवं व्यवधान) Mr. Karan Singh Dalal & Mr. Jagjit Singh Sangwan, I warn both of you. (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगजीत सिंह सांगवान : सर, मैं **** को जानता हूं वे हाई कोर्ट के जज हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, अगर ये उनको जानते हैं तो इनको पूरी जानकारी रखनी चाहिए। अब ये रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं और बाबरी मस्जिद ऐक्शन कमेटी के जज हैं, उसकी भी जमीन है । अब वे हाई कोर्ट के जज नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, रिपोर्ट भी प्रकाशित हो चुकी है और डिपार्टमैंट की जांच भी हो चुकी है। ये बिना बात का शोर क्यों मचा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : ****

श्री जगजीत सिंह सांगवान : ***

श्री अध्यक्ष : ये चेयर की आज्ञा के बिना बोल रहे हैं इसलिए इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये। Mr. Karan Singh Dalal & Mr. Jagjit Singh Sangwan, I warn both of you again. (शोर एवं व्यवधान) प्लीज आप बैठिये। सब आपका रवैया देख रहे हैं।

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) : स्पीकर सर, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ****** (शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, ---------- (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आपको बार-बार वार्न करने के बाद भी आप सदन की कार्यवाही में विघ्न डाल रहे हैं इसलिए मैं आपको नेम करता हूं। आप हाउस से बाहर जाईये । (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप ऐसा नहीं कर सकते । (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आज सैशन का आखिरी दिन है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि दलाल साहब को नेम न किया जाये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आपको नेम कर दिया गया है। आप प्लीज सदन से बाहर जायें अन्यथा आपको वाच एंड वार्ड स्टाफ की सहायता से बाहर निकाला जायेगा।

(इस समय माननीय सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल सदन से बाहर चले गये ।)

श्री जगजीत सिंह सांगवान : अध्यक्ष महोदय, ---------- (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप बैठिये। आपका कोई निवेदन नहीं । (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आपने दलाल साहब को नेम गलत किया है। उन्होंने ऐसा क्या कह दिया । (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगजीत सिंह सांगवान : अध्यक्ष महोदय, ---------- (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सांगवान साहब, आपको वार्न करने के बाद भी आप सदन की कार्यवाही में विघ्न डाल रहे हैं इसलिए मैं आपको भी नेम करता हूं। आप सदन से बाहर जायें। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय माननीय सदस्य श्री जगजीत सिंह सांगवान सदन से बाहर चले गये।)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ---------- (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप बैठिये। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप प्रश्नकाल के दौरान किसी को बाहर कैसे निकाल सकते हैं। जीरो आवर में आप निकाल सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ---------- (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब मैं आपको वार्न करता हूं । (शोर एवं व्यवधान) प्लीज आप सभी बैठिये। मंत्री जी की बात सुनें।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि किसी हाईकोर्ट के जज का नाम लिया गया है तो उसे आप हाउस की कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री अध्यक्ष : यदि हाईकोर्ट के किसी जज का नाम लिया गया है तो वह हाउस की कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा था कि अम्बाला में बहुत ज्यादा सरकारी भूमि खाली पड़ी है और बड़ी-बड़ी पहुंच वाले लोग उस जमीन पर गिद्ध की निगाह लगाये बैठे हैं तथा उस जमीन को हथियाना चाहते हैं। अभी सरकार ने इस बारे में विजिलैंस की जांच भी करवाई है जिसमें बहुत ज्यादा भूमि की अनियमितताएं पाई हैं। उसमें सभी तरह के नियमों को ताक पर रखकर बड़ी-बड़ी पहुंच वाले लोगों ने वह जमीन ले रखी है। जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अरमिन्दर सिंह के बंगलोज हैं और बाबरी मस्जिद ऐक्शन कमेटी के ****की भी जमीन है जो पहले मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, अब नहीं हैं वे रिटायर हो चुके हैं। यह रिकार्ड की बात है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, फिर नाम लिया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विज साहब, आप सप्लीमैंटरी पूछें। यह मैंने पहले ही कह दिया है कि हाई कोर्ट के जज का नाम कार्यवाही में नहीं आना चाहिए।

श्री अनिल विज : स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब यह पैट्रोल पम्प लगाया गया ---------- (शोर एवं विघ्न) स्पीकर साहब, जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल होते थे। उस समय किस प्रकार से जमीन हथियाई जाती थी, उसका एक ज्वलन्त उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं हाउस में बिल्कुल भी गलत ब्यानी नहीं कर रहा । इसके लिए हम बाकायदा कोर्ट में केस लड़े और हम कोर्ट में जीते। पंजाब एण्ड हरियाणा हाई कोर्ट का जो एक डिसीजन है उसका एक पैरा मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। इस पैरा को पढ़ने के बाद सारी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी कि उसमें किस तरह से कानूनों की अवहेलना करके व धांधली मचा करके जमीन अलाट की गई है। (शोर एवं विघ्न) which is not an allotted land.

श्री अध्यक्ष : पहले आप जवाब तो दे देने दो। मैं आपको दोबारा मौका दूंगा।

श्री अनिल विज : आप देखिए कि किस प्रकार से सरकारी ज़मीन की धज्जियां उड़ायी जाती हैं, मुझे एक बार अपनी रूलिंग पढ़ लेने दें। (शोर एवं विघ्न)

डा० रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर साहब, मैं इस बारे में आपकी एक रूलिंग चाहता हूं। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मेरी रूलिंग यह है कि आप बैठ जायें। (शोर एवं विघ्न) आप सभी बैठिये। डा० रघुबीर सिंह जी, आज सैशन का आखिरी दिन है, आप बैठ जाएं और शांति बनाये रखें। (शोर एवं विघ्न) कुछ सीखो। (शोर एवं विघ्न)

श्री अनिल विज : स्पीकर साहब, मेरा क्वैश्चन नहीं आया है Let me ask a question, Sir. (Interruptions) Let me ask first.

श्री अध्यक्ष : गोयल साहब, आप इनके क्वैश्चन का जवाब दें।

श्री अनिल विज़ : स्पीकर साहब, अभी मैंने सवाल पूछा नहीं है। (शोर एवं विघ्न) स्पीकर साहब, जो जमीन अलाट की गई दिखाई गई है, दर्शायी गयी है उसमें माननीय हाई कोर्ट ने कहा है

> "The appellant's husband was a Cabinet Minister of the State at the relevant time. She claims allotment and lease of the land in dispute by virtue of memo dated 31-8-1995. Annexure R-6/6 and lease deed dated 3-11-1995, Annexure P-8."

श्री अध्यक्ष : विज़ साहब, आप बैठिये पहले मंत्री जी का जवाब आने दें। गोयल साहब, आप जवाब दें।

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाष गोयल) : स्पीकर साहब, उस वक्त के मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी जो आज विपक्षी बैंचों पर बैठे हैं, उनके टाईम में यह अनियमितता हुई थी, नार्म्ज के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से, कायदे के हिसाब से जो जमीन एलाट की जाती है तो बाकायदा नगरपालिका, नगर परिषद और कारपोरेशन प्रस्ताव पारित करके सरकार को भेजती है। तत्पश्चात् सरकार उस पर निर्णय लेकर के उस जमीन को अलाट करती है। बगैर पालिका के प्रस्ताव के, कौंसिल के प्रस्ताव के यह 718 वर्ग गज भूमि 31-8-1995 को श्रीमति पुष्पा देवी D/o श्री सीता राम, पत्नी श्री पी०सी० मुलाना लिखा हुआ था जबकि उनका नाम फूलचन्द मुलाना है। यह बात छिपा करके रखी गयी थी । यह जमीन 34490 रुपये प्रति वर्ष की दर से 99 साल के पट्टे पर अलाट की गई थी । बाद में कुछ प्रतिवादी कोर्ट में गए। 10-11-1997 को कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए कि इस केस की पूर्ण जानकारी ली जाए अगर यह गलत है तो उस लाईसैंस को कैंसिल किया जाये तत्पश्चात् 29-1-1998 को चौधरी बंसी लाल जी की अध्यक्षता में जो सरकार थी, मुख्यमंत्री श्री बंसी लाल ने अपने काल में उस लाईसैंस को कैंसिल किया । इन्होंने यानि पुष्पा देवी ने कोर्ट में फिर डबल बैंच में अपील दायर की। डबल बैंच ने भी आखिरकार उनकी रिक्वैस्ट खारिज करते हुए लाईसैंस को कैंसिल करने का फैसला लिया। उस समय यह सबसे बड़ी अनियमितता हुई थी। तत्पश्चात् अब यह मामला सब-ज्यूडिस है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला हुआ है। जो इस वक्त यथास्थिति है, वह मैंने बतायी है। (शोर एवं विघ्न) जय प्रकाश जी, आप पूछें। जो सम्मानित सदस्य हमसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वह जानकारी हम सदन के पटल पर अवश्य रखेंगे, हमारी सरकार का, माननीय चौटाला साहब की सरकार का यह नैतिक फर्ज बनता है कि अगर कोई अनियमितता हुई है तो उसको सदन के पटल पर अवश्य रखा जायेगा और सदस्यों को बताया जायेगा। (शोर एवं विघ्न) मैंने यह भी साथ ही साथ बताया है कि यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में सब-ज्यूडिस है। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठें। बाकी का रिप्लाई आप बाद में दे देना। अनिल विज़ जी, आप अपनी सप्लीमैन्टरी पूछें।

श्री अनिल विज़ : जहां तक भूमि की अलाटमैंट का मामला था -------- (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी ने इस केस का स्टेटस क्लीयर किया है । (शोर एवं विघ्न) प्रैजैन्ट में केस का जो स्टेटस है वह क्लीयर किया है। (शोर एवं विघ्न) आगे क्या करना है, क्या नहीं करना

है वह कोर्ट के आदेश के बाद करेंगे। अब उस पर चर्चा नहीं हो रही । विज़ साहब, आप जल्दी से जल्दी अपना सवाल पूछें। (शोर एवं विघ्न)

श्री सुभाष गोयल : स्पीकर साहब, इसके अलावा अगर सदस्यों को किसी का नाम लेने पर ऐतराज है तो बेशक उसका नाम आज की कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : आप बिल्कुल गलत नहीं बोले । किसी को कोई ऐतराज नहीं है। (शोर एवं विघ्न) उस बात पर ऐतराज ठीक माना जायेगा अगर कोई असंवैधानिक बात हुई हो। (शोर एवं विघ्न)

श्री अनिल विज : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 1995 में यह मामला हुआ। लाखों करोड़ों रुपये की बेशकीमती ज़मीन धक्के से कब्जा करवा दी गई और हाई कोर्ट ने केस में भी और दोबारा अपील में हमारे हक में यानि जनता के हक में फैसला दिया । कोर्ट ने कहा कि **Allotment of the land in question to the appellant is an illegal act of favouritism.** मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जिन लोगों के माध्यम से यह मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है वह अलग मामला है। यह अलाटमैंट का मामला नहीं । अलाटमैंट का डिसीजन हो चुका है। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने यह जमीन लुटवाई, जिन अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने यह घोटाला किया वे सब लोग जो इसमें शामिल थे, चाहे वे राजनीतिक लोग थे, चाहे वो उस वक्त के सत्ता पक्ष के लोग थे जिन्होंने यह अनियमितता की, सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी और क्या अभी तक कोई कार्यवाही की गई है । स्पीकर सर, आठ साल इस मामले को बीत गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि इसमें अनियमितता हुई है, घोटाला हुआ है और बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। (शोर एवं विघ्न)

श्री सुभाष गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री ने हमेशा हाउस में भी और हाउस से बाहर भी यह कहा है कि जो कोई भी व्यक्ति किसी गलत कार्य में संलिप्त मिला उसके खिलाफ अवश्य कार्यवाही होगी क्योंकि यह मामला सब-ज्यूडिश है इसलिए इस मामले पर आज कोई निर्णय नहीं हो सकता । कोर्ट के निर्णय के उपरांत जो कोई व्यक्ति इस में दोषी मिलेगा उसके खिलाफ अवश्य कार्यवाही की जाएगी।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि भविष्य में ऐसी कोई अनियमितता न हो, क्या इस बारे में विचार किया जाएगा ? (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, क्या ये तीन-तीन सप्लीमैंटरी पूछ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : हां, ये पूछ सकते हैं क्योंकि यह इनका प्रश्न है। अगर इनकी सैटिसफैक्शन नहीं होगी तो ये एक और प्रश्न भी पूछ सकते हैं। (विघ्न) आप अपनी सीट पर बैठें। आप न तो कोई सवाल देते हैं और न ही कोई प्रश्न पूछते हैं।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि भविष्य में ऐसी कोई अनियमितता न हो तो क्या सरकार उसके लिए कोई पोलिसी बनाएगी ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : फौजी, आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। यूं ही न खड़े हो जाया करें।

श्री सुभाष गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विपक्ष के बैंचों के सदस्यों से यह जानना चाहूंगा कि क्या मेरी तरफ से किसी प्रकार की कोई गलत बात हुई है, जो आप इस तरह से बोल रहे हैं। यह सब-ज्यूडिश मामला है और आप लोगों को इसके लिए क्या तकलीफ हो रही है। जब कोई मामला सब-ज्यूडिश होता है तो उसके ऊपर सदन में कोई कमैन्ट्स नहीं दिए जा सकते हैं। (विघ्न) आप बार-बार इस तरह से बीच में बोल कर बात कर रहे हो यह बहुत ही गलत बात है। अगर आपको कोई प्रोब्लम हमारे से है तो आप उस बारे में हमारे से प्रश्न पूछ सकते हैं। यह जो आप सब-ज्यूडिश मामले पर चर्चा करना चाह रहे हैं तो यह सबसे बड़ी गलत बात है।

Ratio of Police personnel-stations vis-a-vis population

***1381. Shri Rajinder Singh Bisla :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to increase the number of police personnel and police stations in the State as per norms/ratio of population ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : हां, श्री मान जी।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष, महोदय, कहां पर कितनी पोस्ट्स और थाने बनाए जाएं, इसके लिए मेन क्राईटेरिया मैं समझता हूं कि पुराने टाईम्स में, ब्रिटिश टाईम में भी पापुलेशन को ही आधार माना जाता था। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि आज सारे प्रदेश में विशेषकर हमारे फरीदाबाद ज़िले में बहुत ज्यादा संख्या में पोल्यूटिंग पापुलेशन है, न वे वोटर हैं, न उनका कोई रैजिडैंस है, और न ही कोई नम्बर है, उनकी वजह से हमारे यहां पर पापुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है। लॉ एंड आर्डर को कंट्रोल करने के लिए जो मौजूदा पुलिस फोर्स है, उसकी संख्या और थानों की कमी की वजह से लॉ एंड आर्डर वहां पर हाथ से निकलता जा रहा है। वहां पर आस-पास राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का बोर्डर लगता है। वहां पर कई बार जब एन्क्रोचमैंट निगम और हुड्डा के द्वारा हटाई जाती है तो फोर्स की कमी और फोर्स के उपलब्ध न होने की वजह से एन्क्रोचमैंट हटाने के प्रोग्राम को हफ्ता-हफ्ता और 10-10 दिन पोस्टपोन करना भी पड़ जाता है। मैं आपके माध्यम से माजरा साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जिले में तत्काल कुछ थाने और बढ़ाए जाएं, पुलिस फोर्स और बढ़ाई जाए क्योंकि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का आधार पुलिस फोर्स है। मेरा यही कहना है कि वहां पर लॉ एंड आर्डर ठीक रहना चाहिए, क्राईम पर काबू रहना चाहिए।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, सरकार के पास पुलिस फोर्स और थानों की संख्या बढ़ाने हेतु मुख्यत: 6 प्रस्ताव विचाराधीन हैं। ट्रैफिक स्टाफ बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग पर गश्त, ज़िला रिवाड़ी, पुलिस थाना सराह ख्वाजा, जिला फरीदाबाद हेतु स्टाफ, पुलिस थाना कोतवाली जिला फरीदाबाद हेतु स्टाफ, पुलिस चौकी खैरीपुर हेतु स्टाफ और पुलिस थाना सैक्टर 16, पंचकूला में थाना बनाने और स्टाफ बढ़ाने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है। स्पीकर सर, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इस बारे में नहीं है कि किस प्रकार से थाने खोले जाएंगे। हरियाणा प्रदेश में अब तक 206 पुलिस स्टेशन हैं, 222 चौकियां हैं और 450 व्यक्तियों के पीछे एक कांस्टेबल होता है और लगभग एक लाख आबादी के पीछे एक थाना मंजूर किया जाता है। इस सरकार के आने के बाद हमने 11921 पुलिस विभाग में अस्थाई पदों को स्थाई करने का काम किया है। इसी प्रकार से 1113 कांस्टेबल्ज ट्रैफिक पुलिस में, 726 कांस्टेबल्ज रैपिड ऐक्शन फोर्स में नए पद क्रिएट किए

गए हैं । इसी प्रकार से स्पीकर सर, फौर्थ क्लास में 19 पदों को रैगुलेराईज किया गया है। इसके साथ ही 3600 कांस्टेबल्ज को हैड कांस्टेबल्ज बनाने का काम किया है। 444 हैड कांस्टेबल्ज की पोस्टस को अपग्रेड करने का भी काम किया गया है। स्पीकर सर, इसी प्रकार से 200 महिला पुलिस कांस्टेबल्ज की भर्ती भी की गई है। इंडियन रिजर्व बटालियन की 1007 पोस्टस क्रिएट करके भर्ती की गई हैं, और इसी प्रकार से सुपरवाईजरी स्टाफ की भर्ती चौधरी देवीलाल पुलिस रिसर्च सैंटर में करने के लिए 22 पोस्टस क्रिएट की गयी हैं। इस तरह से इस अमले और जमले को और मजबूत किया गया है ताकि लॉ एंड आर्डर की स्थिति को और ठीक ढंग से लागू किया जा सके । इसी तरह से हरियाणा प्रदेश में चौधरी देवीलाल मॉर्डन ट्रेनिंग सैंटर, भौंडसी में खोला गया है जिसमें पांच एफ०एस०एल०, आर०टी०सी० एवं नोर्थ जोन विमैन ट्रेनिंग सैंटर और रिसर्च सैंटर तथा आई०आर०बी० हैड क्वार्टर खोले गये हैं।

श्री अध्यक्ष : आनररेबल मैम्बर्ज,अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Shifting of Girls High School, Dabwali

***1305. Shri Sita Ram :** Will the Minister of State for Education be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the building of Girls High School, Dabwali City is in dilapidated condition; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to shift the said school in the vacant building of old Hospital ?

शिक्षा राज्य मन्त्री (चौधरी बहादुर सिंह) :

(क) श्रीमान, यह तथ्य है कि राजकीय उच्च विद्यालय, डबवाली शहर के भवन में मुरम्मत की आवश्यकता है। आवश्यक मुरम्मत आगामी वित्त वर्ष 2003-04 में करवा ली जायेगी।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन नहीं है।

Setting up of Sub-stations in Bahadurgarh

***1321. Shri Nafe Singh Rathi :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up 220 KV, 400 KV, 66 KV and 33KV Sub-stations at Bahadurgarh; and

(b) if so, the time by which the aforesaid Sub-stations are likely to be set up?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हां श्रीमान, बहादुरगढ़ में पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया (पी०जी०सी०आई०एल०) द्वारा एक 400 के०वी० उपकेन्द्र का निर्माण करने का एक प्रस्ताव है। पी०जी०सी०आई०एल० ने इस उपकेन्द्र की स्थापना के लिए प्रक्रिया शुरु कर दी है। यह उप केन्द्र वर्ष 2006-07 तक तैयार होना सम्भावित है। यह उपकेन्द्र 400 के०वी० भिवानी-बवाना (देहली) लाइन के माध्यम से जोड़ा जाएगा।

राज्य योजना के अन्तर्गत बहादुरगढ़ में 220 के०वी० उपकेन्द्र के निर्माण के लिए एक अन्य प्रस्ताव है। इस उपकेन्द्र को 400 के०वी० उपकेन्द्र बहादुरगढ़ के साथ जोड़ा जाएगा तथा यह वर्ष 2006-07 तक तैयार हो जाना सम्भावित है।

इसके अतिरिक्त अगले वर्ष के दौरान 20 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर वर्तमान 33 के०वी० उपकेन्द्र हिन्दुस्तान नेशनल ग्लास (एच०एन०जी०) बहादुरगढ़ की क्षमता में वृद्धि करने की योजना है।

Commissioning of Unit -6 of Panipat Thermal Plant

***1360. Shri Krishan Lal :** Will the Chief Minister be pleased to state whether Unit-6 of 210 MW of Panipat Thermal Power Plant has been commissioned, if so, the performance thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हां श्रीमान, पानीपत थर्मल पावर प्लांट की 210 मैगावाट की छठी इकाई दिनांक 20-9-2001 से चालू हो गई है। इस इकाई ने वर्ष 2001-02 में 81.90 प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर पर 796.7 मिलियन यूनिट तथा चालू वित्त वर्ष में फरवरी तक 91.89 प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर पर 1546.77 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया।

Increase in consumption of electricity

***1362. Shri Ramesh Rana :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there has been any increase in the electricity consumption in the industrial sector; if so, the details thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हां, श्रीमान जी ! पिछले चार वर्षों के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में बिजली उपभोग में वृद्धि निम्न प्रकार से रही :—

वर्ष	उद्योगों द्वारा उपभोग (यूनिट लाखों में)	वर्ष 1998-99 पर प्रतिशत वृद्धि
1998-99	18773	
1999-2000	18881	0.58%
2000-2001	20584	9.65%
2001-2002	24126	28.50%
2002-2003 (दिसम्बर, 02 तक)	20029 (26705) वर्ष के लिए अनुमानित	42.25 % वर्ष के लिए अनुमानित

Construction of Ladhuwas Minor

***1297. Shri Jarnail Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the Ladhuwas Minor in district Fatehabad ; if so, the time by which it is likely to be completed ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हां, श्रीमान जी। इस स्तर पर यह सम्भव नहीं कि इसकी पूरी होने की निश्चित तिथि दी जाए क्योंकि कार्य का आरम्भ होना धन की उपलब्धता होने पर निर्भर करता है।

Amount sanctioned for Veterinary Hospital

***1351. Shri Banta Ram :** Will the Minister of State for Animal Husbandry be pleased to state —

(a) the total amount sanctioned/released for the construction/repair of Veterinary Hospitals/SMC/Verterinary Dispensaries in the State during the period from 11-5-1996 to 24-7-1999 ; and

(b) the total amount sanctioned/released for the construction/repair of Vety. Hospital/SMC and Vety. Dispensaries in the first and second phase of "Sarkar Apke Dwar" programme during the period from 25-7-1999 to 30-6-2001 and 1-7-2001 to 1-10-2002 ?

पशुपालन राज्य मन्त्री (चौ० मोहम्मद इलियास) :

(क) श्रीमान, दिनांक 11-5-1996 से 24-7-1999 तक 142.98 लाख रुपये की राशि पशु भवनों के निर्माण/मरम्मत के लिए स्वीकृत की गई थी, जिसमें से 119.43 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी।

(ख) "सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम के प्रथम चरण के अन्तर्गत 25-7-1999 से 30-6-2001 तक 858.18 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी जिसमें से 812.61 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी। द्वितीय चरण 1-7-2001 से 1-10-2002 की अवधि में 590.02 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई जिसमें से 572.30 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी।

Third phase of Sarkar Apke Dwar

***1436. Shri Ramesh Kumar Khatak :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the date on which the third phase of Sarkar Apke Dwar Programme was started togetherwith the total number of constituencies in which this programme has been started so far ; and

(b) whether any amount has been sanctioned for fulfilling the announcements of third phase of the Sarkar Apke Dwar Programme ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का तीसरा चरण 2 अक्तूबर, 2002 से आरम्भ किया गया था। 9-3-2003 तक 52 विधान सभा क्षेत्रों का दौरा तय कर लिया गया है।

(ख) तीसरे चरण की घोषणाओं के लिए 28-2-2003 तक 33.41 करोड़ रुपये स्वीकृत किये जा चुके हैं। यह कार्यक्रम अभी चल रहा है, इसलिए जब भी धन-राशि की आवश्यकता होगी वह स्वीकृत कर दी जायेगी।

Electricity connections to Tubewells

***1275. Shri Karan Singh Dalal :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of electricity connections to tubewells have been released in the State during the year 2001-2002; and

(b) the total number of electricity connections to tubewells lying pending in district Faridabad at present ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) राज्य में वर्ष 2001-2002 में 6950 नलकूपों के कनैक्शन जारी किए गए।

(ख) दिनांक 31-12-2002 तक जिला फरीदाबाद में नलकूप कनैक्शनों के लिए 1612 आवेदन लम्बित थे।

Upgradation of 33 KV Sub-station, Rasina

***1386. Shri Tejvir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the 33KV Sub-Station, Rasina, district Kaithal to 132 KV; and

(b) if so, the time by which it is likely to be upgraded ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) हां श्रीमान, जिला कैथल में वर्तमान 33 के०वी० उपकेन्द्र रसिना का दर्जा 33 के०वी० से बढ़ाकर 132 के०वी० स्तर तक करने का प्रस्ताव 746 लाख रुपए की अनुमानित लागत से स्वीकृत हो चुका है।

(ख) कार्य वर्ष 2003-04 के दौरान पूर्ण होना सम्भावित है।

Repair of road

***1345. Shri Rambir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Gurgaon Farukhnagar, road is damaged badly from Wazirpur Mor to Farukhnagar ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid road is likely to be repaired ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) हां, श्रीमान जी। यह सड़क माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 15-7-2002 की पालना करते हुए दिल्ली को बाईपास करने वाले भारी यातायात को मोड़े जाने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है।

(ख) श्रीमान जी, वर्तमान स्थिति में इस सड़क का सुधार कार्य करने की कोई समय सीमा अंकित करना सम्भव नहीं है क्योंकि यह धन की उपलब्धि पर निर्भर करेगा।

Release of contaminated water into Agra and Gurgaon Canals

***1338. Shri Udai Bhan :** Will the Chief Minister be pleased to state whether the Government is aware of the fact that the dirty and polluted water of sewerage/factories of Delhi is falling into Yamuna river and that contaminated water is being released to Gurgaon and Agra canal which is not fit for human consumption and irrigation purposes; if so, the steps taken or proposed to be taken to control the releasing of such contaminated water into Agra and Gurgaon Canals ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हां, श्रीमान जी। मामला दिल्ली प्राधिकरण व केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के साथ उठाया हुआ है।

Amount sanctioned/released by H.R.D.F.

***1418. Shri Balwant Singh Maina :** Will the Chief Minister be pleased to state the date on which the H.R.D.F. Board was constituted and thereafter amount sanctioned/released for the rural development works up to July, 1999 by the Board together with the total amount sanctioned/released for rural development works during the period from August, 1999 to 28-2-2003 ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : एच०आर०डी०एफ० बोर्ड का गठन हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 में की गई व्यवस्था के अनुसार सरकार की अधिसूचना दिनांक 15 जनवरी, 1987 के तहत किया गया था। एच०आर०डी०एफ० बोर्ड के गठन से लेकर जुलाई, 1999 तक ग्रामीण विकास कार्यों के लिए 374.84 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं तथा 337.43 करोड़ रुपये जारी किये हैं। अगस्त, 1999 से 28 फरवरी, 2003 तक की अवधि के दौरान एच०आर०डी०एफ० बोर्ड द्वारा राज्य में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 486.34 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं तथा 445.19 करोड़ रुपये जारी किये हैं।

Service road from old Faridabad chowk to Ajronda Chowk

***1370. Shri Krishan Pal :** Will the Minister of State for Urban Development be pleased to State—

(a) whether there was any service road from Faridabad NH-2 Old Faridabad Chowk to Ajronda Chowk; if so, the present position thereof ;

(b) whether the above said service road is under any illegal possession;

[Sh. Krishan Pal]

and

(c) if it is under possession on of any person, the steps taken or proposed to be taken to get the said road vacated from the possessors togetherwith the action taken against them ?

राज्य नगर विकास मन्त्री (श्री सुभाष गोयल) :

(क) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्ग ओल्ड फरीदाबाद चौक से अजरौंदा चौक तक एक सर्विस सड़क है और वर्तमान में यह सड़क मुक्त है।

(ख) नहीं, इस सर्विस सड़क पर कोई अवैध कब्जे नहीं हैं।

(ग) जैसा कि ऊपर उप-पैरा (ख) में बताया गया है सड़क पर अवैध कब्जे नहीं हैं।

Distribution network of Ghaggar

***1356. Shri Bhag Singh Chhatar :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to utilize the Ghaggar River water by constructing distribution network; if so, the details thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हां, श्रीमान् जी। फतेहाबाद व सिरसा जिले में घग्गर के फालतू पानी को खरीफ की फसल के लिए उपयोग करने हेतु निम्नलिखित 7 योजनाएं सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हैं :—

1. घग्गर सुखचैन सम्पर्क चैनल का निर्माण।
2. घग्गर बनी सदेवा एम०एम०के० सम्पर्क चैनल
3. मंगला डायरैक्ट माइनर का विस्तार
4. मिठी सुरेरा माइनर
5. चिलकनी ढाब माइनर
6. कसाबा माइनर का विस्तार
7. रंगोई खरीफ चैनल

Strengthening of Transmission System

***1374. Shri Shashi Parmar :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the steps taken or proposed to be taken to strengthen the transmission system in Bhiwani District togetherwith the details thereof ; and

(b) the details of the works in hand which are likely to be completed in next two years ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(ए) जिला भिवानी में प्रसार प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई गई है। इस योजना में प्रमुख कार्य जो सम्मिलित किये गए वे हैं, 220 के०वी० उपकेन्द्र, भिवानी की क्षमता में वृद्धि करना, 4 नं० नए 132 के०वी० उपकेन्द्र औद्योगिक क्षेत्र भिवानी लोहारू तोशाम तथा बहल और 4नं० नए 33 के०वी० उपकेन्द्र देवराला, सिटी रेलवे स्टेशन भिवानी, पटौदी तथा चांग निर्मित करने की योजना है। इसके अतिरिक्त काफी संख्या में वर्तमान उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि की जा चुकी/की जा रही है। विस्तृत स्थिति निम्न प्रकार है :—

पहले पूरे किए गए कार्य—

नये

1.	33 के०वी० उपकेन्द्र, देवराला	30-7-1999

क्षमता में वृद्धि

1.	132 के०वी० उपकेन्द्र, दादरी-II	3-8-2000
2.	132 के०वी० उपकेन्द्र, झोझूकलां	25-5-2001
3.	132 के०वी० उपकेन्द्र, बाढ़ड़ा	22-10-2001
4.	132 के०वी० उपकेन्द्र, झोझूकलां	4-10-2001
5.	33 के०वी० उपकेन्द्र, कादमा	15-10-1999
6.	33 के०वी० उपकेन्द्र, लोहारू	28-10-1999
7.	33 के०वी० उपकेन्द्र, ईश्रवाल	8-1-2001
8.	33 के०वी० उपकेन्द्र, आई०ए० भिवानी	6-1-2001
9.	33 के०वी० उपकेन्द्र, लोहारू	27-4-2001
10.	33 के०वी० उपकेन्द्र, सिवानी	12--8-2001
11.	33 के०वी० उपकेन्द्र, तोशाम	13-2-2002
12.	33 के०वी० उपकेन्द्र, लोहारू	26-10-2002
13.	33 के०वी० उपकेन्द्र, बेरला	8-11-2002
14.	33 के०वी० उपकेन्द्र, नाकीपुर	13-11-2002
15.	33 के०वी० उपकेन्द्र, निगाना कनाल	20-12-2002

इन कार्यों में कुल 564 लाख रुपए का निवेश किया गया है।

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

(बी) प्रारम्भ में किये गए कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है :—

नये

1. 132 के०वी० उपकेन्द्र, औद्योगिक क्षेत्र, भिवानी
2. 132 के०वी० उपकेन्द्र, लोहारु
3. 132 के०वी० उपकेन्द्र, तोशाम
4. 132 के०वी० उपकेन्द्र, बहल
5. 33 के०वी० उपकेन्द्र, सिटी रेलवे स्टेशन, भिवानी
6. 33 के०वी० उपकेन्द्र, पटौदी
7. 33 के०वी० उपकेन्द्र, घांग

क्षमता में वृद्धि

1. 220 के०वी० उपकेन्द्र, भिवानी
2. 132 के०वी० उपकेन्द्र, झोझूकलां
3. 33 के०वी० उपकेन्द्र, बवानी खेड़ा
4. 33 के०वी० उपकेन्द्र, मुन्ढाल

उपरोक्त कार्य 3414 लाख रुपए की अनुमानित लागत से वर्ष 2003-04 तक पूर्ण होने सम्भावित है :—

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Releasing of Tubewell connections

***157. Sh. Dev Raj Dewan :** Will the Chief Minister be pleased to state the district-wise number of electricity connections to tubewells released in the State during the period from 16-8-2002, to-date ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : राज्य में दिनांक 16-2-2002 से दिनांक 28-2-2003 तक के दौरान 5738 नलकूप कनैक्शन जारी किए गए थे। इनका जिलानुसार ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

क्र० सं०	जिला का नाम	16-8-2002 से 28-2-2003 तक जारी किए गए नलकूप कनैक्शन
1	2	3
1.	अम्बाला	195
2.	पंचकूला	34

1	2	3
3.	यमुनानगर	329
4.	कुरुक्षेत्र	217
5.	कैथल	269
6.	करनाल	257
7.	पानीपत	176
8.	सोनीपत	310
9.	जीन्द	465
10.	रोहतक	46
11.	झज्जर	57
12.	महेन्द्रगढ़	711
13.	रिवाड़ी	488
14.	फरीदाबाद	104
15.	गुड़गांव	256
16.	हिसार	84
17.	फतेहाबाद	290
18.	भिवानी	928
19.	सिरसा	522

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा लॉ एंड आर्डर के बारे में एक कालिंग अटैंशन मोशन है। यह भिवानी में नर्सिंग होस्टल में जो नकाबपोश घुस गए थे, के बारे में है। छात्राओं ने उनको बांध लिया लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस नहीं आयी। आप बताएं कि मेरे उस मोशन का क्या हुआ।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आपने यह मोशन कब लिखकर दिया है ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : आज सुबह दस बजे लिखकर दिया है।

श्री अध्यक्ष : और अब टाईम क्या हो रहा है। आपने दस बजे तो लिखकर दिया है। आपका वह मोशन अंडर कंसीड्रेशन है। (विघ्न)

चौधरी जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत सीरियस मामला है इसलिए ऐसा मामला अंडर कंसीड्रेशन नहीं होता । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप बैठिए। अब इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाए। (विघ्न)

चौधरी जय प्रकाश : * * *

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : स्पीकर सर, कोई जीरो ऑवर नहीं होता । ये रूल्ज़ पढ़कर तो देखते नहीं हैं। रूल्ज़ में कोई जीरो ऑवर नहीं होता । (विघ्न) सरकार बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप यह मामला पहले भी लिखकर दे सकते थे। (विघ्न) क्या आपके पैन की स्याही तो खत्म नहीं हो गयी थी। आप जल्दी उठकर सुबह ही अखबार पढ़कर जल्दी यह लिखकर दे सकते थे । (विघ्न) आप बैठिए, आपका यह मामला अंडर कंसीड्रेशन है। आप जल्दी उठा करो और जल्दी उठकर लिखा करो। (विघ्न) आप सब बैठ जाएं। इस तरह से काम नहीं चलता । आपका यह मामला ऐग्जामिन कर रहे हैं। As such there is no Zero hour in the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जीरो ऑवर तो होता है। ये रूल्ज़ में लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : कहां लिखा हुआ है, दिखाएं कहां है । आप मेरे चैम्बर में आ जाना मैं आपको इस बारे में दिखा दूंगा। कोई जीरो ऑवर नहीं होता । (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात तो सुनें।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, मैंने आपको आपके मोशन की इंफर्मेशन दे दी है। आपने यह दस बजे लिखकर दिया था। आपका यह मोशन अंडर कंसीड्रेशन है। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आज तो हॉउस खत्म हो रहा है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, ये न तो मेरी मानते और न ही आपकी मानते। ये तो बेलगाम हो रहे हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : मान तो सारी ले, लेकिन आप भी तो हमारी माना करो। ये आपकी बात नहीं मान रहे हैं क्योंकि आप इनकी बात नहीं मान रहे हैं । आपने इनका मोशन रिजैक्ट कर दिया है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : इन्होंने यह लिखकर ही दस बजे दिया था इसलिए डिसअलाऊ कर दिया गया।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैंने और डाक्टर रघुबीर सिंह ने भी एस०वाई०एल० के कम्पलीशन के बारे में एक कालिंग अटैंशन मोशन दिया था। एस०वाई०एल० हरियाणा के लोगों की जीवन रेखा है। हमें इस पर बोलने का मौका नहीं मिला और न ही इस सरकार की तरफ से तसल्लीबख़्श जबाव आया है।

श्री अध्यक्ष : वह भी डिसअलाऊ कर दिया था इसलिए अब आप बैठें। (विघ्न)

---

* चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

शोक प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will make obituary references.

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : स्पीकर सर, मैं आपकी सहमति से दो शोक प्रस्ताव सदन में रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह सदन श्री माई चन्द, स्वतंत्रता सेनानी के 13 मार्च, 2003 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 1919 में गांव गढ़वा (भिवानी) में हुआ। वह 1939 में भारतीय सेना में भर्ती हुए। सेना में रहते हुए उन्होंने जब अंग्रेजों का विरोध किया था तो उन्हें बंदी बना लिया गया था तथा तीन वर्ष तक वे जेल में रहे थे। उनके निधन से देश एक स्वतंत्रता सेनानी की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवदेना प्रकट करता है।

इसी तरह से यह सदन 13 मार्च, 2003 को मुम्बई के मुलंड रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेन में हुए विस्फोट में मारे गए यात्रियों के दु:खद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : मैं परमपिता परमात्मा से दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं और शोक संतप्त परिवारों तक इस सदन की संवेदना पहुंचा दी जाएगी और अब मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे उपरोक्त दिवंगत आत्माओं के सम्मान में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन धारण करने के लिए खड़े हो जाएं।

(इस समय सदन ने सभी दिवंगत आत्माओं के सम्मान में खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया।)

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now the Parliamentary Affairs Minister will move the Motion under Rule 15.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

> That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker : Question is—

> That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now the Parliamentary Affairs Minister will move the Motion under Rule 16.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

> That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine-die.*

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine-die.*

Mr. Speaker : Question is—

> That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine-die.*

The motion was carried.

समितियों की रिपोर्ट्स प्रस्तुत करना

सबॉर्डीनेट लैजिस्लेशन कमेटी की 33वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Now, Shri Vaid Kapoor Chand (Chairperson, Committee on Subordinate Legislation), will present the Thirty Third Report of the Committee on Subordinate Legislation for the year 2002-2003.

वैद्य कपूर चंद : (चेयरपर्सन, अधीनस्थ विधायी समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2002-2003 की अधीनस्थ विधायी समिति की 33वीं रिपोर्ट सदन में सादर प्रस्तुत करता हूं।

गवर्नमैंट अश्योरैंसिज कमेटी की 33वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Now, Capt. Ajay Singh Yadav (Chairperson, Committee on Government Assurances) Will present the Thirty Third Report of the Committee on Government Assurances for the year 2002-2003.

Capt. Ajay Singh Yadav (Chairperson, Committee on Government Assurances) : Sir, I beg to present the Thirty Third Report of the Committee on Government Assurances for the year 2002-2003.

वैल्फेयर ऑफ शिड्यूल्ड कास्टस, शिड्यूल्ड ट्राईब्स एंड बैकवर्ड क्लासिज कमेटी की 27वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Now, Shri Ramesh Kumar Khatak, Chairperson, Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes, will present the Twenty Seventh Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes for the year 2002-2003.

Shri Ramesh Kumar Khatak (Chairperson, Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes): Sir, I beg to present the Twenty Seventh Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes for the year 2002-2003.

पब्लिक अकाउंटस कमेटी की 54वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Now, Shri Nafe Singh Rathi, Chairperson, Committee on Public Accounts, will present the Fifty Fourth Report of the Committee on Public Accounts for the year 2002-2003, on the report of the Comptroller and Auditor General of India for year ended 31st March, 1998 (Civil and Revenue Receipts).

Shri Nafe Singh Rathi (Chairperson, Committee on Public Accounts) : Sir, I beg to present the Fifty Fourth Report of the Committee on Public Accounts for the year 2002-2003, on the report of the Comptroller and Auditor General of India for year ended 31st March, 1998, (Civil and Revenue Receipts).

पब्लिक अंडरटेकिंगज कमेटी की 50वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Now, Shri Krishan Lal Panwar, Chairperson, Committee on Public Undertakings, will present the Fiftieth Report of the Committee on Public Undertakings for the year 2002-2003 on the Reports of the Comptroller and Auditor General of India for the years, 1998-99 & 1999-2000 (Commercial).

Shri Krishan Lal Panwar : (Chairperson, Committee on Public Undertakings) : Sir, I beg to present the Fiftieth Report of the Committee on Public Undertakings for the year 2002-2003 on the Reports of the Comptroller and Auditor General of India for the years, 1998-99 & 1999-2000 (Commercial).

एस्टिमेट्स कमेटी की 34वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Now, Shri Lila Krishan Chairperson, Committee on Estimates, will present the Thirty Fourth Report of the Committee on Estimates for the year 2002-2003 on the Budget Estimates for the year 2002-2003 Dairy Development Department.

Shri Lila Krishan (Chairperson, Committee on Estimates) : Sir, I beg to present the Thirty Fourth Report of the Committee on the Estimates for the year 2002-2003 on the Budget Estimates for the year 2002-2003 Dairy Development Department.

विधान कार्य–

दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 2) बिल, 2003

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 2003 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 2003.

Sir, I also beg to move—

> That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

> That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause-2

Mr. Speaker : Question is—

> That Clause 2 stand part of the Bill,

The motion was carried.

Clause-3

Mr. Speaker : Question is—

> That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker : Question is—

> That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker : Question is—

> That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, मैं इस बारे कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : जब इस पर बोलने की स्टेज थी तो उस समय तो आप खड़े नहीं हुए। अब तो यह पास भी हो गया है। अब बोलने की कोई स्टेज नहीं है। कृपया आप बैठें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, मैं इस बारे कुछ कहना चाहता हूं।

मुख्यमंत्री (श्री ओमप्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, अब तो बोलने की स्टेज नहीं है। हुड्डा साहब, आपको समझ नहीं है तो आप अपने नेता से समझ लें। इस बिल की क्लाजें पास हो चुकी हैं आपको इस बारे में ज्ञान तो है नहीं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, मैं इस बारे कुछ कहना चाहता हूं । सरकार का बजट पास हुआ, सारी डिसकशन हुई इसके लिए मैं वित्तमंत्री जी को बधाई देता हूं उनकी दाद देता हूं कि उन्होंने किस कुशलता से आंकड़े पेश किए। मैं अब इस बिल के बारे में बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप किस सब्जैक्ट पर बोलना चाहते है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, मैं आईटम नं० 15 पर बोलना चाहता हूं। स्पीकर साहब, मेरी बात तो सुनिये।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, हर क्लाज तो पास हो चुकी है।

Prof. Sampat Singh : Sir, it is the stage of voting. This is time for voting only.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, मैं बोल तो सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, अब तो सब पास हो चुका है। अब तो वोटिंग ही रह गई है। आप बैठें।

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, जब भी कोई बिल मूव किया जाता है और जब उस बिल को पास किया जाता है, उस वक्त कोई भी मैम्बर बोल सकता है इसलिए इस बिल को अभी पास ना किया जाये। मैं इस बिल के बारे में बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, अब तो सब पास हो चुका है। अब तो वोटिंग ही रह गई है। आप बैठें।

Prof. Sampat Singh : Sir, every stage has been passed. Everything has been passed. Every Clause has been passed. Even Title has been passed.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, मैं बोल तो सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, अब तो सब पास हो चुका है। अब तो वोटिंग ही रह गई है। आप बैठें।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, पहली स्टेज वह थी जब बिल इंट्रोड्यूस हुआ और इंट्रोड्यूस होने के बाद मैम्बर्ज को अपनी बात कहने का पूरा राइट है। बिल इंट्रोड्यूस हो गया और उस पर बोलने का टाइम था, चलो नहीं बोले, उसके बाद अध्यक्ष महोदय, आपने क्लाज बाइ क्लाज लिया वह स्टेज भी निकल गई। (शोर एव व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हम उस समय बोलना चाहते थे।

श्री अध्यक्ष : आप उस समय नहीं बोले।

Prof. Sampat Singh: Hooda Sahib, I am not addressing you. (Interruptions) Speaker Sir, I am addressing you. अध्यक्ष महोदय, जब बोलने का टाईम था उस टाईम पर ये नहीं बोले, अब तो बिल की हर क्लाज पास हो गई । बिल वरबैटम पास हो गया। अब वोटिंग का वक्त आ गया है कि क्या यह हाऊस को मंजूर है या नहीं। बाकी हर चीज पास हो गई है, इन्कल्यूडिंग टाईटल पास हो गया। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अब आपको इसे पास करना है। अगर किसी को एतराज है और वे वोटिंग कराना चाहते हैं तो करवा लें। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Hon'ble members now, the House stands adjourned Sine-die.

*10.46 hrs. (The Sabha then * adjourned sine-die.)